मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 जून, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति तिथि पर देय स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जाना ।

—◆—

शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति तिथि तक उनको देय स्वत्वों का निराकरण हेतु राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों, पेंशनर्स संगठनों एवं मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 57 व 58 के प्रावधान अनुसार पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरणों की तैयारी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति तिथि (जो पूर्व निर्धारित रहती है) से 24 माह पूर्व की जानी चाहिए । इस तिथि तक सेवा सत्यापन में यदि कोई अपूर्णता है तब नियम 59 के अंतर्गत ऐसी सेवावधि को सत्यापित मान्य की जावे ।

(2) यदि किसी शासकीय सेवक की पेंशन/ग्रेच्युटी प्रकरण सेवानिवृत्ति के 15 दिवस पूर्व तक निराकृत नहीं हो पाता है तब पेंशन नियम 74 के अंतर्गत पूर्वानुमानित अथवा अंतरिम पेंशन/उपादान हेतु सेवानिवृत्ति तिथि को भुगतान आदेश जारी किया जावे ।

(3) न्यायालयीन कार्यवाही/विभागीय जांच के प्रकरण यथासंभव समय सीमा में निराकृत किये जायं। शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति तिथि तक न्यायालयीन कार्यवाही/विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में पेंशन नियम 64 के अनुसार सेवानिवृत्ति तिथि को अनन्तिम पेंशन अनिवार्य रूप से स्वीकृत की जावे ।

(4) शासकीय सेवक के विरूद्ध शासकीय वसूली के प्रकरणों में पेंशन नियम 65 के अनुसार यथासंभव एक वर्ष पूर्व निराकरण किया जाकर वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये ।

(5) शासकीय सेवक के वेतन निर्धारण/सेवा सत्यापन/अवकाश स्वीकृति संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 18-10/2010/ई/चार, दिनांक 1-11-2010 की कंडिका 2(II) के अनुसार सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पूर्ण कर ली जाए । इसी अनुक्रम में पेंशन नियम 29 में दिये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(6) शासकीय सेवक की मूल सेवापुस्तिका गुम हो जाने पर मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जी-25/26/सी/चार, दिनांक 1-7-1995 के अनुसार द्वितीय प्रति बनायी

जाकर सक्षम प्राधिकारी से संबंधित शासकीय सेवक के संवानिवृत्ति पूर्व अनुमोदित/मान्यता प्राप्त की जाए ।

(7) अमांग/न जांच प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक बी-25/26/97/पी.डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 12-12-1997 में दिये निर्देश अनुसार संवानिवृत्ति तिथि तक उपलब्ध कराना विभाग प्रमुख का दायित्व है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाए । सेवानिवृत्ति के एक माह पश्चात तक उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर यह मानकर पेंशन प्रकरण का निराकरण/भुगतान किया जावे कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरूद्ध कोई मांग/जांच नहीं है ।

(8) सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) एवं मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1774/2121/2000/सी/चार, दिनांक 25-8-2000 में उल्लेखित मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी-25/1/2000/सी/चार, दिनांक 11-4-2000 की टिप्पणी - (1) में दिये गये निर्देशानुसार शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि का कटौत्रा बन्द होते ही अंतिम भुगतान का प्रकरण तैयार कर महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित किया जाए।

(9) विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतिम भुगतान के प्रकरण, अंतिम कटौत्रे के तुरन्त पश्चात् तैयार कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएं ।

2/ उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला स्तर पर प्रथम श्रेणी विभागीय अधिकारी को दायित्व सौंपा जाए एवं प्रतिवर्ष 01 जुलाई एवं 31 दिसम्बर को पेंशन प्रकरणों की समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें । शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/समय सारणी का कृपया पालन सुनिश्चित कराया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रं. : एफ 9-3/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 29 जून, 2015

प्रतिलिपि,

रजिस्ट्रार (लॉ) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Rule2015